संख्या-818 /78-2-2014-53आई.टी./2008टी.सी.

प्रेषक,

भूपेन्द्र एस. चौधरी,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव/सचिव,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, मुख्यमंत्री कार्यालय, गृह, खादी एवं ग्रामोद्योग, पर्यटन, पशुधन, संस्कृति, राजस्व, पंचायती राज, खाद्य एवं रसद, श्रम, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, विकलांग कल्याण, ऊर्जा, कृषि, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, अल्पसंख्यक कल्याण, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, परिवहन, ग्राम्य विकास, निर्वाचन, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, वाणिज्य कर, भूतत्व एवं खनिकर्म, धर्मार्थ कार्य, पिछड़ा वर्ग कल्याण, आवास एवं शहरी नियोजन, रेशम विकास, वन, नगर विकास तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आबकारी, कारागार प्रशासन, गन्ना विकास, दुग्ध विकास, मत्स्य उत्पादन, खेल कूद, युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा, पर्यावरण, सतर्कता, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन।

2. सचिव, लोक सेवा आयोग,
उत्तर प्रदेश।

आई.टी. एवं इले. अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 19 मई, 2016

विषय:- **प्रदेश में इलेक्ट्रानिक डिलीवरी के माध्यम से प्रदान की जानी सेवाओं की संख्या बढाये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि प्रदेश के समस्त विभागों की आम जनमानस से सम्बन्धित शासकीय सेवायें इलेक्ट्रानिक माध्यम से उपलब्ध कराया जाना एवं उन सेवाओं का ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट किया जाना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी के माध्यम से प्रदान की जा रही सेवाओं में वृद्धि की जाए जिससे आम जनमानस अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके। देश के विभिन्न राज्यों में ई-डिलीवरी के माध्यम से दी जा रही सेवाओं का अध्ययन करने के उपरांत यह प्रतीत होता है कि विभिन्न विभागों की बहुत सी सेवाएं ई-डिलीवरी के माध्यम से आम जन मानस को प्रदान की जा सकती है। उक्त के क्रम विभिन्न विभागों की लगभग 300 सेवायें चिन्हित की गयी हैं (विभागवार सेवाओं की सूची संलग्न) ।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है की संलग्न सूची में वर्णित सेवाओं में से अपने विभाग द्वारा नागरिको को दी जाने वाली सेवाओं से आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को दिनांक 30.05.2016 तक अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी के माध्यम से प्रदान की जा रही सेवाओं की संख्या को बढाया जा सके एवं आम जन मानस को जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से यह सेवाएं उनके निकटस्थ स्थान पर प्राप्त हो सके। कृपया यह भी अवगत कराने का कष्ट करें कि उपरोक्त में से कितनी सेवायें आनलाइन रूप से नागरिको

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।